[2020] 9 एस.सी.आर. 851

इंस्टीट्यूट आफ चार्टर्ड अकाउन्टेन्ट्स आफ इंडिया और अन्य।

बनाम

शाजी पॉलोस और अन्य।

(स्थानांतरण याचिका (सिविल) सं0 2849–2859/2019) 09 दिसंबर, 2020

[माननीय अशोक भूषण,न्यायमूर्ति, माननीय आर.सुभाष रेड्डी,न्यायमूर्ति और माननीय एम.आर. शाह, न्यायमूर्ति]

स्थानांतरण याचिका–भारत का संविधान–अनुच्छेद 139–ए (1)–सुप्रीम कोर्ट नियम, 2013–आदेश XL, नियम 1–रिट याचिकाओं में, जिन्हें स्थानांतरित करने की मांग की गई है, रिट याचिकाकर्ताओं ने याचिकाकर्ता परिषद द्वारा जारी दिशानिर्देश संख्या 1–सीए (7)/02/2008 दिनांक 08.08.2008 के अध्याय–VI की वैधता को चुनौती दी है कि यह भारतीय संविधा के अनुच्छेद 19 (1) (जी) का उल्लंघन है–दिनांक 08.08.2008 के दिशानिर्देशों के उक्त अध्याय VI में कहा गया है कि पेशे में संस्थान का कोई भी सदस्य, एक वित्तीय वर्ष में, "कर ऑडिट असाइनमेंट की निर्दिष्ट संख्या" से अधिक स्वीकार नहीं करेगा, जो वर्तमान में आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 44 एबी के तहत 60 है–इसके संबंध में कई रिट याचिकाएं केरल उच्च न्यायालय, मद्रास उच्च न्यायालय और कलकत्ता उच्च न्यायालय में लंबित थीं–इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के पेशे के लिए नियामक निकाय होने के नाते इसमें शामिल मुद्दों के अंतिम और निर्णायक निर्धारण के लिए उपरोक्त सभी रिट याचिकाओं को सर्वोच्च न्यायालय में स्थानांतरित करने के लिए वर्तमान स्थानांतरण याचिकाएं दायर की गई हैं– अवधारित किया गयाः उच्च न्यायालय में जिन दिशा–निर्देशों का विरोध किया गया है और परिणामस्वरूप देश भर में विभिन्न चार्टर्ड एकाउंटेंट्स के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही शुरू की गई है, सार्वजनिक हित का एक मुद्दा है जो चार्टर्ड एकाउंटेंट्स के साथ–साथ नागरिकों को भी प्रभावित करता है जिन्हें अनिवार्य कर ऑडिट प्राप्त करना पड़ता है –कानून को स्थापित और कर पेशेवरों और नागरिकों के बीच अनिश्चितता को दूर करने के लिए, यह उचित है कि सुप्रीम कोर्ट रिट याचिका को स्थानांतरित करे, इस विषय पर कानून को आधिकारिक रूप से घोषित करने के लिए–हालांकि, विभिन्न रिट याचिकाओं में काम करने वाले अंतरिम आदेश जिन्हें स्थानांतरित करने की मांग की गई है, उन्हें तब तक जारी रखने की अनुमति दी जानी चाहिए जब तक कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले पर विचार नहीं करता है और किसी अन्य आदेश को पारित नहीं करता है– परिणामस्वरूप, स्थानांतरण याचिकाओं की अनुमति दी जाती है।

इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया बनाम सदर्न पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज कॉर्पोरेशन लिमिटेड और अन्य (2007) 15 एस.सी.सी.649–को संदर्भित किया गया।

केस लॉ संदर्भ (2007) 15 एस.सी.सी. 649 पैरा 14 को संदर्भित।

सिविल मूल क्षेत्राधिकारः स्थानांतरण याचिका (सिविल) सं0 2849–2859/2019.

भारत के संविधान के अनुच्छेद 139–ए (1) के तहत याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट के नियम, 2013 के आदेश XL नियम 1 के साथ पढ़ी जाती है।

स्थानांतरण याचिका (सिविल) संख्या 727–728/2019.

अरविंद दातार,वरिष्ठ अधिवक्ता,प्रमोद दयाल, निकुंज दयाल, अधिवक्ता, याचिकाकर्ताओं की ओर से।

एन. वेंकटरमण, एएसजी, आर. बसंत, वरिष्ठ अधिवक्ता, राघन्थ बसंत, ई. एम. एस. अनम, पीयूष बेरीवाल, भुवन मिश्रा, सुश्री अनिल कटियार, बी. रमना कुमार, रघुनाथ सेतुपति, के. परी वेंधन, कृष्णमोहन, गौतम शिवशंकर, सजित पी., विशु पी., अश्विन कुमार डी. एस., सुश्री. सुरभी मेहता, तपेश कुमार सिंह, आदित्य प्रताप सिंह, सुश्री भस्वती सिंह , अधिवक्ता उत्तरदाताओं की ओर से।

माननीय अशोक भूषण, न्यायमूर्ति द्वारा न्यायालय का निर्णय सुनाया गया।

1. ये स्थानांतरण याचिकाएं भारत के संविधान के अनुच्छेद 139–ए (1) के साथ आदेश XL नियम 1, सुप्रीम कोर्ट नियम 2013 के तहत भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेन्ट्स संस्थान द्वारा दायर की गई है। केरल उच्च न्यायालय, मद्रास उच्च न्यायालय, कलकत्ता उच्च न्यायालय में लम्बित कई रिट याचिकाओं के स्थानांतरण के लिए।

2. स्थानांतरण याचिकाओं में नोटिस जारी किए गए थे। उत्तरदाताओं में से एक, प्रतिवादी नंबर 1 द्वारा एक काउंटर हलफनामा भी दायर किया गया है।

3. हमने श्री अरविंद दातार को सुना, याचिकाकर्ताओं के लिए वरिष्ठ वकील और उत्तरदाताओं की ओर से उपस्थित श्री आर. बसंत विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ,और अन्य उपस्थित अधिवक्ताओं को सुना।

4. रिट याचिकाओं में, जिन्हें स्थानांतरित करने की मांग की गई है, रिट याचिकाकर्ताओं ने के अध्याय VI के दिशानिर्देश संख्या 1–सीए (7)/02/2008 दिनांक 08.08.2008 की वैधता को चुनौती दी है जो याचिकाकर्ता संस्थान की परिषद द्वारा जारी किया गया है इस आधार पर कि वह भारत के संविधान के अनुच्छेद 19 (1) (जी) का उल्लंघन करती है। दिनांक 08.08.2008 के दिशानिर्देशों के उक्त अध्याय VI में कहा गया है कि प्रैक्टिस में संस्थान का कोई भी सदस्य एक वित्तीय वर्ष में, "कर ऑडिट असाइनमेंट की निर्दिष्ट संख्या" से अधिक स्वीकार न करे, जो वर्तमान में आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 44 एबी के तहत 60 है। इसके अलावा, चार्टर्ड अकाउंटेंट अधिनियम, 1949 की धारा 22 "पेशेवर या अन्य कदाचार" को परिभाषित करती है,में कोई कार्य या चूक शामिल है। अधिनियम की द्वितीय अनुसूची के खंड (1) भाग II यह प्राविधानित करती है कि संस्थान का एक सदस्य, चाहे वह प्रैक्टिस में हो या नहीं, को पेशेवर कदाचार का दोषी माना जाएगा, यदि वह अधिनियम के किसी भी प्रावधान का उल्लंघन करता है या उसके द्वारा बनाए गए नियमों या संस्थान द्वारा जारी किए गए किसी भी दिशानिर्देश का उल्लंघन करता है। इस प्रकार, यदि संस्थान का सदस्य दिनांक 08.08.2008 के दिशानिर्देशों के उपरोक्त अध्याय VI के प्रावधानों का उल्लंघन करता है, तो उसे चार्टर्ड अकाउंटेंट अधिनियम,1949 के तहत पेशेवर कदाचार का दोषी माना जाएगा।

5. विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने तर्क दिया कि कार्यवाही की बहुलता से बचने के लिए, निर्णयों के टकराव और कानून को व्यापक रूप से स्थापित करने के लिए, जो कि सामान्य सार्वजनिक महत्व का प्रश्न है, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया जो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स पेशे के लिए नियामक निकाय है, ने इस न्यायालय में उपरोक्त सभी रिट याचिकाओं को अंतिम और निर्णायक निर्धारण के लिए स्थानांतरित करने के लिए वर्तमान स्थानांतरण याचिकाएं दायर की हैं।

6. प्रतिवादी की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री आर. बसंत और अन्य अधिवक्ताओं ने तर्क प्रस्तुत किया कि विभिन्न न्यायालयों में लम्बित रिट याचिकाओं के हस्तांतरण का कोई अच्छा कारण नहीं है। यह अभिकथन किया गया कि रिट याचिकाओं के स्थानांतरण का एकमात्र कारण याचिकाकर्ताओं की सुविधा है, जबकि यदि स्थानांतरण की अनुमति दी जाती है तो संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत रिट याचिकाकर्ताओं द्वारा प्राप्त संवैधानिक संरक्षण और अधिकार का लाभ छिन जाएगा। अनुच्छेद 139 ए के प्रावधान कानून के सामान्य नियम का अपवाद है, जिसे केवल दुर्लभ और असाधारण परिस्थितियों में ही प्रयोग किया जा सकता है। आक्षेपित दिशानिर्देशों के अनुसार, आवेदकों ने ऑडिट असाइनमेंट की संख्या पर एक सीमा लगा दी है, जिसे देश भर में प्रत्येक चार्टर्ड अकाउंटेंट द्वारा ऑडिट की प्रकृति, ग्राहकों के व्यवसाय की प्रकृति और मात्रा, स्थानीय परिस्थितियों पर विचार किये बिना किया गया है। स्थानीय कानून, प्रत्येक चार्टर्ड एकाउंटेंट के प्रैक्टिस का स्थान आदि, ये सभी प्रश्न संविधान के अनुच्छेद 14 और 19 (1) (जी) के उल्लंघन के प्रश्न पर निर्णय लेते समय महत्वपूर्ण हैं। यह आवश्यक है कि इस न्यायालय को देश के विभिन्न हिस्सों में विभिन्न उच्च न्यायालयों के निर्णयों का लाभ मिल सके। यह तर्क प्रस्तुत किया गया कि पहले भी ऐसे अवसर आए हैं कि जब इस तरह की स्थानांतरण याचिकाएं खारिज कर दी गई हैं। आगे तर्क प्रस्तुत किया गया है कि सभी रिट याचिकाओं को स्थानांतरण किया जाना आवश्यक है तो सभी रिट याचिकाओं को इस न्यायालय में स्थानांतरित करने के बजाय एक उच्च न्यायालय में स्थानांतरित किया जा सकता है। यह अंतिम रूप से प्रतिवादी के लिए विद्वान वकील द्वारा तर्क प्रस्तुत किया कि कई रिट याचिकाओं में, विभिन्न अंतरिम आदेश रिट याचिकाकर्ताओं के पक्ष में चल रहे हैं,जिन्हें जारी रखने की अनुमति दी जा सकती है।

7. हमने पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ता को सुना और अभिलेखों का अवलोकन किया।

8. आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 44 एबी को वित्त अधिनियम, 1984 द्वारा संविधि पुस्तक में डाला गया था और यह 01.04.1985 से लागू हुआ। धारा 44 एबी प्राविधानित करती है कि व्यवसाय करने वाला प्रत्येक व्यक्ति, यदि उसकी कुल बिक्री, टर्नओवर या सकल प्राप्तियां रु० 1 करोड़ से अधिक हैं, और किसी पेशे से जुड़े व्यक्ति को, यदि किसी पिछले वर्ष में उसकी सकल प्राप्तियाँ 50 लाख से अधिक हैं, तो प्राविधानित करती है कि

वह अपने पिछले वर्ष के खातों का चार्टर्ड एकाउंटेंट द्वारा ऑडिट करवाए और विनिर्दिष्ट तिथि से पहले ऐसे चार्टर्ड एकाउंटेंट द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित और सत्यापित निर्धारित प्रपत्र में आडिट रिपोर्ट प्राप्त करे। उक्त प्रावधानों को लोकप्रिय रूप से "अनिवार्य कर आडिट" कहा जाता है। उक्त धारा 44 एबी को करों की चोरी को रोकने, कर से बचाव को सक्षम करने वाली खामियों को दूर करने और कर प्रशासन की सुविधा के लिए अधिनियमित किया गया था, जो यह सुनिश्चित करेगा कि आर्थिक प्रणाली के परिणामस्वरूप सामान्य हानि के लिए धन का संकेन्द्रण न हो। इसलिए उक्त धारा भारत के संविधान के अनुच्छेद 39 (सी) के तहत आईडी निर्धारित निर्देशक सिद्धांतों को पूरा करती है।

9. अधिनियम की दूसरी अनुसूची के भाग II के खंड (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में, संस्थान की परिषद ने एक अधिसूचना 1–सीए (7)/3/88 दिनांक 13.01.1989 को निर्दिष्ट करते हुए जारी की कि प्रैक्टिस में संस्थान के एक सदस्य को पेशेवर कदाचार का दोषी माना जाएगा, यदि वह एक वित्तीय वर्ष में आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 44 एबीके तहत निर्दिष्ट संख्या से अधिक टैक्स आडिट असाइनमेंट स्वीकार करता है तो उसे व्यवसायिक कदाचार का दोषी माना जाएगा। एक वित्तीय वर्ष में निर्दिष्ट संख्या 30 है, चाहे कॉर्पोरेट या गैर–कॉर्पोरेट मूल्यांकनकर्ताओं के संबंध में। एक के. भगवतीश्वरन, जो पेशे से एक चार्टर्ड एकाउंटेंट थे, ने मद्रास उच्च न्यायालय के समक्ष 1989 की रिट याचिका संख्या. 5925 दायर की, जिसमें दिनांक 13.01.1989 की अधिसूचना की वैधता और वैधानिकता को चुनौती दी गई और 1989 की रिट याचिका संख्या 5926 की वैधता और वैधानिकता को चुनौती भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 (1) (जी) के उल्लंघन में होने के आधार पर दी गई। प्रकीर्ण याचिका संख्या 2844/1989–प्रेम चंद और अन्य बनाम इंस्टीट्यूट आफ चार्टर्ड एकाउंटेंट्स आफ इंडिया और अन्य, मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय,जबलपुर में दिनांक 13.01.1989 की अधिसूचना की वैधता को चुनौती देते हुए दायर की गई।

10. विभिन्न उच्च न्यायालयों में अन्य रिट याचिकाएं दायर की गई थीं। स्थानांतरण याचिकाएं इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया द्वारा याचिका संख्या 614–615/1990, के तहत दायर की गई थी, जिन्हें इस न्यायालय ने 03.04.1991 को यह कहते हुए खारिज कर दिया था कि संबंधित उच्च न्यायालय रिट याचिकाओं का शीघ्र निस्तारण कर सकते हैं। 1993 की रिट याचिका संख्या 2085–प्रकाश मेहता बनाम आईसीएआई जहां दिनांक 13.01.1989 की अधिसूचना की वैधता और वैधानिकता को चुनौती दी थी, उसे 16.05.2005 को खारिज कर दिया गया था। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने रिट याचिका संख्या 2844/1989 में दिनांक 18.04.1995 के अपने निर्णयों द्वारा यह अवधारित किया था कि दिनांक 13.01.1989 की अधिसूचना एक चार्टर्ड एकाउंटेंट के पेशे को जारी रखने के अधिकार को नहीं छीनती है, जिसके विरूद्ध, एक विशेष अनुमति याचिका संख्या 21988/1995 दायर की गई थी, जिसमें अनुमति दी गई थी, लेकिन सिविल अपील दिनांक 04.05.1999 के आदेश द्वारा वापस लेने के कारण खारिज कर दी गई थी। मद्रास उच्च न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 13.07.1998 के द्वारा 1989 की रिट याचिका संख्या 5925 की अनुमति दे दी थी–के. भगवतीश्वरन बनाम इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया और अन्य, जिसके फैसले की पुष्टि एक रिट अपील में डिवीजन बेंच ने भी की थी।

11. चार्टर्ड एकाउंटेंट्स अधिनियम, 1949 को संसद द्वारा चार्टर्ड एकाउंटेंट्स (संशोधन) अधिनियम, 2006 द्वारा संशोधित किया गया था, जिसके संशोधन के बाद, पूर्ववर्ती अधिसूचनाओं को दिशानिर्देश दिनांक 08.08.2008 द्वारा निरस्त कर दिया गया था। उपरोक्त दिशानिर्देशों के बाद, इस न्यायालय ने दिनांक 01.04.2013 के आदेश द्वारा 2005 की सिविल अपील सं० 7208–7209 को निष्प्राय हो जाने पर खारिज कर दिया, जो आदेश निम्नलिखित प्रभाव के लिए थाः–

"उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, हम अपीलों को गुण–दोष के आधार पर सुनने का प्रस्ताव नहीं रखते हैं और उन्हें निष्प्राय मानकर खारिज किया जाता है। हालाँकि, यदि कोई सदस्य मौजूदा दिशानिर्देशों से असंतुष्ट है और अपीलकर्ता के समक्ष एक अभ्यावेदन दाखिल करता है, तो अपीलकर्ता इस बात पर विचार करेगा और उचित आदेश पारित करेगा, और यदि कोई सदस्य इससे व्यथित है, चाहे उसने अभ्यावेदन दिया हो या नहीं, तो उसे उचित मंच के समक्ष इसे चुनौती देने का अधिकार होगी।"

12. दिनांक 08.08.2008 के दिशानिर्देश जारी करने के बाद, विभिन्न उच्च न्यायालयों में विभिन्न रिट याचिकाएँ दायर की गई हैं, स्थानांतरण याचिका में दी गई विभिन्न रिट याचिकाओं का विवरण इस प्रकार हैः –

"(1) डब्ल्यू. पी. (सी) नंबर 25662/2016 जिसका शीर्षक 'शाजी पौलोस बनाम द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया और अन्य'। एर्नाकुलम में केरल के माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष लंबित;

(2) डब्ल्यू. पी. (सी) नंबर 12963/2017 जिसका शीर्षक 'टी.आर. मोहन दास बनाम द इंस्टीट्यूट ऑफ

चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया और अन्य'। एर्नाकुलम में केरल के माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष लंबित;

(3) डब्ल्यू. पी. (सी) नंबर 19026/2017 को जिसका शीर्षक 'ई. हृषीकेसन बनाम द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया और अन्य'। एर्नाकुलम में केरल के माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष लंबित;

(4) डब्ल्यू.पी. संख्या 7956 से 17958/2017 को जिसका शीर्षक 'श्री. आर. मुरलीधरन बनाम भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक और अन्य'। मद्रास में माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष लम्बित;

(5) डब्ल्यू. पी. सं० 22771/2017 जिसका शीर्षक 'राधा कांत दास बनाम द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया और अन्य'। कलकत्ता में माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष लंबित;

(6) डब्ल्यू. पी. (सी) नंबर 12273/2019 जिसका शीर्षक 'सी. सुरेश कुमार बनाम द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया और अन्य'। एर्नाकुलम में केरल के माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष लंबित;

(7)–डब्ल्यू. पी. नंबर 19162/2019 जिसका शीर्षक 'सुश्री वी. गायत्री देवी बनाम द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया और अन्य'। मद्रास में माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष लंबित;

(8) डब्ल्यू. पी. नंबर 18124/2019 जिसका शीर्षक 'कमलेश मित्रा बनाम द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया और अन्य'। कलकत्ता में उच्च न्यायालय के समक्ष लंबित; और

(9) डब्ल्यू. पी. नंबर 18590/2019 जिसका शीर्षक 'प्रलय चक्रवर्ती बनाम द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया और अन्य'। कलकत्ता में माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष लंबित।

13. अलग–अलग उच्च न्यायालयों में दायर विभिन्न रिट याचिकाओं में दिनांक 08.08.2008 के दिशा–निर्देशों को चुनौती देते हुए अनुशासनात्मक कार्यवाही दिनांक 08.08.2008 के दिशानिर्देशों के उल्लंघन के लिए भी जो रिट याचिकाकर्ता के खिलाफ शुरू की गई, चुनौती दी गई थी। उदाहरण के लिए, 2016 की रिट याचिका संख्या 25662, शाजी पौलोस बनाम इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया और अन्य, दिशानिर्देश दिनांक 08.08.2008 के साथ–साथ दिनांक 28.03.2015, 23.06.2016 और 13.07.2016 के संचार को चुनौती दी गई थी। उच्च न्यायालय ने नोटिस जारी किया और रिट याचिकाकर्ता के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही पर रोक लगा दी।

14. उत्तरदाताओं के विद्वान अधिवक्ता ने इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया बनाम सदर्न पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज कॉर्पोरेशन लिमिटेड और अन्य, (2007) 15 एससीसी 649 में इस न्यायालय के फैसले पर भी बल दिया है, जिसमें संस्थान द्वारा इस न्यायालय में स्थानांतरण याचिका दायर की गई थी जो इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया द्वारा तैयार किए गए अकाउंटिंग स्टैण्डर्ड 22 के पैराग्राफ 33 की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली विभिन्न उच्च न्यायालयों में दायर रिट याचिकाओं के स्थानांतरण के लिए थी। इस न्यायालय ने स्थानांतरण याचिका की अनुमति दी और सभी रिट याचिकाओं को कलकत्ता उच्च न्यायालय द्वारा सुने जाने का निर्देश दिया। प्रतिवादी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा तर्क दिया गया कि यह न्यायालय वर्तमान मामले में भी सभी रिट याचिकाओं को किसी एक उच्च न्यायालय में स्थानांतरित करने पर विचार कर सकता है।

15. मामले का तथ्य यह है कि इस न्यायालय ने 03.04.1991 को स्थानांतरण याचिका संख्या 614–615/1990 को खारिज करते हुए कहा कि संबंधित उच्च न्यायालय रिट याचिका का शीघ्र निस्तारण कर सकते हैं, वर्तमान में रिट याचिकाओं को स्थानांतरित करने में किसी भी प्रकार की रोक नहीं मानी जा सकती है। जिस समय पिछली स्थानांतरण याचिका खारिज की गई थी, उस समय विभिन्न उच्च न्यायालयों द्वारा संबंधित विषय पर परस्पर विरोधी निर्णय नहीं आए थे। जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, ऑडिट की संख्या की सीमा के संबंध में, समान दिशानिर्देशों पर अलग–अलग उच्च न्यायालयों के परस्पर विरोधी निर्णय हैं। इसके अलावा, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया बनाम सदर्न पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज कॉर्पोरेशन लिमिटेड और अन्य में इस न्यायालय का फैसला जिसमें, रिट याचिका को एक उच्च न्यायालय जो कि कलकत्ता उच्च न्यायालय है, में स्थानांतरित किया जाना वर्तमान मामले में रिट याचिकाओं को इस न्यायालय में स्थानांतरित करने के लिए याचिकाकर्ता की प्रार्थना पर विचार करने से नहीं रोकता है।

16. जो दिशा–निर्देश उच्च न्यायालय में आक्षेपित हैं और परिणामस्वरूप देश भर में विभिन्न चार्टर्ड एकाउंटेंटों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही शुरू की गई है, वह एक सार्वजनिक महत्व का मुद्दा है जो चार्टर्ड एकाउंटेंट्स

के साथ–साथ नागरिकों को भी प्रभावित करता है जिन्हें अनिवार्य रूप से कर ऑडिट प्राप्त करना है। हम इस बात से सहमत हैं कि कानून का निपटारा करने तथा कर पेशेवरों और नागरिकों के बीच अनिश्चितता को दूर करने के लिए, यह उचित है कि यह न्यायालय इस विषय पर कानून को अधिकारिक रूप से घोषित करने के लिए रिट याचिका को स्थानांतरित कर सकता है।

17. हालाँकि, हम प्रतिवादी रिट याचिकाकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता द्वारा दी गई दलीलों में तथ्य पाते हैं कि विभिन्न रिट याचिकाओं में लागू अंतरिम आदेश जिन्हें स्थानांतरित करने की मांग की गई है, उन्हें तब तक जारी रखने की अनुमति दी जानी चाहिए जब तक कि यह न्यायालय मामले पर विचार नहीं करता है और कोई अन्य आदेश पारित नहीं करता है।

18. परिणामस्वरूप, इन स्थानांतरण याचिकाओं की अनुमति दी जाती है। ऊपर उल्लिखित रिट याचिकाएं इस न्यायालय में वापस ली जाती हैं।

19. रजिस्ट्री द्वारा यह आदेश तुरंत संबंधित उच्च न्यायालयों को प्रेषित किया जाना चाहिए। रिट याचिकाओं में जो अंतरिम आदेश पारित किये गये हैं तब तक जारी रहेंगे जब तक कि इस न्यायालय द्वारा कोई अन्य आदेश पारित नहीं किया जाता है।

स्थानांतरण याचिकाएं स्वीकार की जाती हैं।

vetted by–
AMIT SINGH–III
CIVIL JUDGE(J.D), NORTH
COURT NO.25, SULTANPUR

Digitally signed by AMIT SINGH
Date: 2023.11.06 12:11:09 IST
Reason: JUDGMENT TRANSLATION
Location: DCIVIL JUDGE(J.D),NORTH,COURT NO.25, SULTANPUR